तार : पर्यावरण
GRAM : PARYAVARAN

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD LUCKNOW
क्षेत्रीय कार्यालय
Regional Office

दूरभाष : ०५२२–२७२२२३२
Phone : 0522-2722232

सन्दर्भ सं० 3845/NOC-2024A117
Ref. No. ....

दिनांक
Dated : 17/11/17

सेवा में,

मैसर्स पूर्वान्चल कान्सट्रक्शन वर्क्स प्रा0लि0,
द्वारा–श्री जौहर अब्बास,
पूर्वान्चल हाउस, एन–4, सेक्टर–18,
नोएडा–201301

विषय: पर्यावरणीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से प्रस्तावित मै0 पूर्वान्चल कान्सट्रक्शन वर्क्स प्रा0लि0 (पूर्वान्चल किंग्स कोर्ट), प्लाट सं0–जी0एच0–02, विनम्र खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के अनापत्ति प्रमाण पत्र के निर्गमन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र जोकि इस कार्यालय में दिनांक 15/10/14 को प्राप्त हुआ है, का सन्दर्भ ग्रहण करें। आपके आवेदन पत्र के साथ, प्रदूषण नियंत्रण हेतु जमा प्रस्ताव एवं स्थल के निरीक्षणोपरान्त इस कार्यालय से जारी पत्र दिनांक 29/12/16 के अनुपालन में आप द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं संवेदनशील शर्तों के समयबद्ध अनुपालन हेतु विजया बैंक, रीजनल आफिस–लेखराज मार्केट, लखनऊ द्वारा निर्गत रू0 2,20,000/– की जमा की गयी बैंक गारण्टी के परिपेक्ष्य में परियोजना के निर्माण हेतु जमा किये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त आपके प्रस्तावित स्थल प्लाट सं0–जी0एच0–02, विनम्र खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पर ग्रुप हाउसिंग (92 आवासीय फ्लैट्स) कुल बिल्टअप एरिया–21270.43 वर्ग मीटर के निर्माण हेतु पर्यावरर्णीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के साथ सशर्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है :–

1– ग्रुप हाउसिंग की स्थापना का कार्य जी0एच0–02, विनम्र खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ पर ग्रुप हाउसिंग (बी+जी+13) के 92 आवासीय फ्लैट्स कुल बिल्टअप एरिया–21270.43 वर्ग मीटर का निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही किया जायेगा।

2– प्रस्तावित स्थल पर आवासीय परियोजना की स्थापना हेतु आवास विकास परिषद से मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही ग्रुप हाउसिंग का निर्माण किया जायेगा।

3– ग्रुप हाउसिंग से जनित उत्प्रवाह के शोधन हेतु जमा प्रस्ताव के अनुसार 45 के0एल0डी0 के एस0टी0पी0 की स्थापना ग्रुप हाउसिंग के संचालन से पूर्व करना अनिवार्य होगा तथा शुद्धीकृत उत्प्रवाह को शत–प्रतिशत सिंचाई/फलशिंग इत्यादि में प्रयोग कर शून्य किया जायेगा एवं किसी भी दशा में परिसर के बाहर निस्तारित नहीं किया जायेगा ।

4– इकाई द्वारा ग्रुप हाउसिंग के उपभोग प्रारम्भ करने से पूर्व बोर्ड से सहमति जल/वायु प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

5– ग्रुप हाउसिंग में प्रस्तावित 500×2 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0 सेट पर बोर्ड मानकों के अनुरूप ध्वनि/वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा तथा एक्जॉस्ट (चिमनी) की ऊंचाई ग्रुप हाउसिंग के ऊपरी छत से 4.0 मी0 ऊंची रखी जायेगी।

6– इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

7– लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र के अनुसार निर्माण कार्य कराया जाना अनिवार्य होगा।

8– भूगर्भ जल दोहन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।